ISSN - 2231-1130
वर्ष–सप्तम् ; सितम्बर–2016

भारत में दलित आन्दोलन

डॉ0 इशरत जहाँ*

दलित शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के वर्ग से है जिसका मानव समाज में निम्न स्थान है और जो शोषण और उत्पीड़न का शिकार है दलित शब्द संस्कृत के व्युत्पन्न शब्द से सम्बन्धित है जिसका अर्थ शोषित अथवा दबाया हुआ है। समाज में दुर्बल, गरीब तथा निम्न वर्ग दलित कहलाता है। दलित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योतिराव फूले तथा भीमराव अम्बेड़कर ने किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के पूर्व अस्पृश्य कही जाने वाली जातियों के हिन्दु उच्च जातियों के प्रभुत्व वाले समाज में दरिद्रतापूर्ण एवं शोषित तथा उत्पीड़न के सम्बन्ध में किया था। भारत जैसे विकासशील देश में दलित शब्द का प्रयोग अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में किया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन–यापन कर रहे हैं। Vector Prem Sagar ने इस सम्बन्ध में कहा है कि ''यह शब्द भारतीय समाज में कुछ लोगों की कमजोरी, निर्धनता तथा अपमान को व्यक्त करता है जो उन्हें उच्च जातियों के हाथों झेलना पड़ता है।'' वैसे यदि देखा जाये तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने दलित शब्द को असंवैधानिक माना है। J.M. Michael के अनुसार दलित शब्द जिसका प्रयोग सर्वप्रथम सन् 1931 के आस–पास पत्रकारिता सम्बन्धी लेखों में अस्पृश्य जातियों के लिए किया गया। S. Jaikumar के अनुसार ''दलित शब्द कोई अपमानजनक शब्द नहीं है बल्कि शोषित वर्गों की पहचान का एक सकारात्मक प्रतीक है तथा यह शब्द उनके उद्‌भव, जड़ों व इतिहास की समस्याओं का समाधान करता है।'' दलित सचेतनता वास्तव में दलित पहचान एवं दलित इतिहास के प्रश्नों को अपने में समेटे हुए है और यह मुख्य रूप से आर्यवाद तथा बाह्मणवाद विरोधी है। यदि दलित स्त्रियों का समाज में स्तर देखा जाये तो उनकी हालत चिन्ताजनक दिखाई देती है, वे सबसे अधिक शोषित उत्पीड़ित, अशिक्षित, असहाय एवं अन्धविश्वासी दिखाई देती

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग, शिया पीजी कालेज, लखनऊ

हैं। उनका स्तर भी समाज में शक्तिहीन, पृथक एवं परमपरात्मक प्रतीत होता है।

भारत में दलित अनेक दशकों से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से शोषित, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक रूप से दासतापूर्ण जीवन गरीबी की रेखा के नीचे बिताते आ रहे हैं। अब उनमें भी समानता और स्वतंत्रता पाने हेतु क्रान्तिकारी प्रयासों को बल दिया जा रहा है जिससे वे अपने अस्तित्व और पहचान को सिद्ध कर सकें। Ghanshyam Shah के अनुसार ''यह अनिवार्यतः एक राजनैतिक एजेण्डा है क्योंकि वे विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष छेड़ते हैं और चुनावी राजनीति में भाग लेते हैं। उनका रास्ता कठिन एवं परिश्रमसाध्य है।''

ब्रिटिशकाल में यदि देखा जाये तो इस काल में अस्पृश्य जातियों की स्थिति बहुत दयनीय एवं चिन्ताजनक थी। उस समय आर्य समाज ने अपने सुधारवादी आन्दोलन के अन्तर्गत इन जातियों को दलित जाति के नाम से सम्बोधित करके इनके लिये अन्य हिन्दू जातियों की भाँति समान सुविधाएँ एवं समान अधिकार देने की आवाज उठाई। आर्य समाज का यह मानना था कि जिन जनजातियों को अछूत माना जाता है वास्तव में वे दलित जातियाँ हैं। इनके इस प्रयास से अनेक ब्रिटिश अधिकारी भी अछूत जातियों को दलित जातियों (Depressed Caste) कहने लगे परन्तु 1931 की जनगणना के आयुक्त J.H. Hutton ने इन जातियों को बाहरी जाति के नाम से सम्बोधित किया। उनका विचार था कि इन जातियों को हिन्दू जाति के समान अधिकार प्राप्त न होने के कारण इन्हें हिन्दू समाज से बाहर मानना उचित है। महात्मा गाँधी ने कट्टरवादी हिन्दुओं के विपरीत जाकर अछूत कहे जाने वाले व्यक्तियों को समाज का अभिन्न अंग मानकर उन्हें 'हरिजन' कहना प्रारम्भ किया। Dr. Majumdar ने परम्परागत अछूत जातियों और दलित वर्ग के बीच कोई अन्तर न मानते हुए लिखा है कि ''अछूत जातियाँ वे हैं, जो बहुत सी सामाजिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित है जिनमें से अधिकांश निर्योग्यताओं को धार्मिक परम्परा के द्वारा निर्धारित करके उन्हें उच्च जातियों

द्वारा लागू किया गया।''

दलितों को गरीबी, शोषित, अस्पृश्यता तथा उन्हें समानता का अधिकार दिलाने हेतु जिन लोगों ने आन्दोलन में अपनी मुख्य विचारधारा पेश की तथा भूमिका निभाई उनमें ज्योतिबा फुले तथा भीमराव अम्बेडकर के नाम प्रमुख रूप से लिये जाते हैं। ज्योतिबा फुले की प्रेरणाओं से 19वीं शताब्दी में जाति विरोधी आन्दोलन शुरू किया गया। यह आन्दोलन गैर ब्राह्मणवादी आन्दोलन के रूप में देखा गया जिसकी चिन्गारियाँ महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु तक दिखाई दी और महाराष्ट्र में पैंथर आन्दोलन शुरू हुआ। इसको आगे ले जाने का कार्य अम्बेडकर ने किया किन्तु दलित आन्दोलनों की व्याख्या सामाजिक रूप से अस्पृश्यता, अधिक शोषण, असमानता तथा राजनीतिक अत्याचारों के रूप में संतोषजनक रूप से की जानी चाहिए। दलितों द्वारा छेड़े गये आन्दोलनों ने स्वयं के व्यापक आधारभूत और समाज में समानता का अधिकार पाने तथा अस्पृश्यता को दूर करने हेतु उद्देश्यों का निर्माण किया। उन्होंने समाज में अपनी पहचान, आत्म विश्वास और आत्म निर्धारण के लिए अनेक संघर्ष किये, अत्याचार, शारीरिक शोषण, शारीरिक हिंसा, यौन शोषण, बन्धुआ मजदूरी, भूमि हीनता, अयोग्यता, निश्चित व्यवसाय, धार्मिक निषेध आदि पर आन्दोलन छेड़े। उनका उद्देश्य केवल अस्पृश्यता को दूर करना तथा निम्न वर्ग से अपने को उभारना नहीं था उपरोक्त दिये गये उद्देश्य भी उनके आन्दोलन के मुख्य कारक थे। इन्हीं आन्दोलनों के कारण संविधान में दलितों के उत्थान हेतु विभिन्न स्तरों पर आरक्षण व्यवस्था लागू की गयी। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि राज्य श्रमिक दलितों, पिछड़ों एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य के वर्गों में उनके जीवन स्तर में सुधार तथा उनके लिये अनेक कल्याणकारी और विकास की योजनाओं का निर्माण करके उनके स्तर को सुधारने हेतु जल्द से जल्द उनको लागू करे। संविधान द्वारा दलितों के लिये किये गये उत्थान के कार्यक्रमों को देखते हुए उनके लिए सन् 2020 तक आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा दिया है। दलितों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के साथ उनको अनेक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं। घनश्याम शाह

ने दलित आन्दोलनों की व्याख्या दो प्रकार से की है–

1. सुधारवादी आन्दोलन (Reformatory Movement)
2. वैकल्पिक आन्दोलन (Alternative Movement)

दलितों की समस्याओं एवं उनके समाधान हेतु दो प्रकार के आन्दोलन अथवा प्रयास देखने को मिलते हैं। सुधार आन्दोलन या गैर सरकारी प्रयास तथा सरकारी प्रयास सुधार आन्दोलन जाति प्रथा को सुधारने तथा अस्पृश्यता की समस्या का समाधान करता है। अनेक समाज सुधारकों द्वारा समय–समय पर जाति प्रथा और अस्पृश्यता को दूर करने हेतु आन्दोलन किये जाते रहे हैं, जिन समाज सेवकों के नाम इससे जुड़े हैं उनमें महात्मा बुद्ध, रामानुज, कबीर, चैतन्य, नानक, नामदेव, तुकाराम तथा रैदास आदि के लिये जाते हैं। आधुनिक दलित आन्दोलनों में डा0 अम्बेडकर के आन्दोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। डा0 अम्बेडकर ने इन आन्दोलनों में एक 'महार' नाम से प्रसिद्ध आन्दोलन को संगठित किया एवं आगे बढ़ाया। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में शुरू किये अस्पृश्यता के विरूद्ध आन्दोलनों में महाराष्ट्र का सत्य शोधक समाज जिसे ज्योतिबा फुले ने चलाया। तमिलनाडु को आत्म सम्मान आन्दोलन तथा बंगाल का धर्म आन्दोलन प्रमुख है। समकालीन समय में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का सम्पूर्ण संचालन डा0 अम्बेडकर के विचारों और नीतियों पर आधारित है। 1920 में डा0 अम्बेडकर द्वारा अस्पृश्यता को दूर करने हेतु अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ तथा अखिल भारतीय दलित वर्ग फाउण्डेशन की स्थापना की गयी और इन संघों ने अस्पृश्यता से ग्रस्त वर्ग के अधिकारों की आवाज उठाई। अस्पृश्यता निवारण हेतु पं0 मदनमोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में 30 दिसम्बर 1931 ई0 को एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ और 1932 ई0 में सम्पूर्ण देश में अस्पृश्यता निवारण हेतु अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना की गई। इस संघ ने अपने अथक प्रयासों से इन्हें अधिकार दिलाने और अस्पृश्यता को समाप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस संघ के प्रयासों से अनेक शिशु मन्दिरों, छात्रावासों, धर्मशालाओं एवं पानी के लिए कुओं की

स्थापना की गई, जिसके कारण दलितों में शिक्षा का प्रसार हुआ और इनकी आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक सुधार उत्पन्न हुए।

सरकारी आन्दोलन अथवा प्रयासों के अन्तर्गत अंग्रेजी शासनकाल से ही अस्पृश्यता के निवारण के सरकारी प्रयास प्रारम्भ हो गये थे, कांग्रेस सरकार ने भी अपने शासनकाल में दलितों की अवस्था को सुधारने के अनेक प्रयास शुरू किये तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दलितों की स्थिति को सुधारने हेतु संविधान में अनेक प्रावधान लाये गये जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 15(1) के अन्तर्गत राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान आदि पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त कर उससे सम्बन्धित सभी प्रकार की निर्योग्यताओं को लागू करना कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध होगा, अनुच्छेद 25 में राज्य की हिन्दुओं की सार्वजनिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिये खोलने का अधिकार, अनुच्छेद 29 के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली सभी शिक्षण संस्थाओं में किसी को भी अर्थात वंश, धर्म, जाति एवं भाषा के आधार पर रोका नहीं जा सकता, अनुच्छेद 49 के अनुसार कोई भी राज्य दुर्बल वर्गो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शिक्षा सम्बन्धी हितों की रक्षा करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषणकारी कारकों से रक्षा प्रदान करेगा, अनुच्छेद 146 के अनुसार उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश के राज्यों में अनुसूचित जातियों एवं अस्पृश्यों के लिए एक मंत्री होगा जो इनके कल्याण की देख–रेख करेगा, अनुच्छेद 330 के अन्तर्गत लोकसभा में अनूसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सुरक्षित स्थान, अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत सरकारी नौकरियों में आरक्षण तथा अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत राष्ट्रपति अनसुचित जातियों तथा जनजातियों हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो राष्ट्रपति को समय–समय पर इनकी स्थिति तथा दशा से अवगत करायेगा।

अस्पृश्यता के निवारण हेतु सन् 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम लाया गया जिसे सारे देश में 1 जून 1955 से लागू किया गया।

अस्पृश्यता निवारण हेतु इसके प्रावधानों एवं दण्ड व्यवस्था को अधिक कठोर बनाने की दृष्टि से नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1976 तथा अनूसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में पारित किया गया। इस प्रकार यदि देखा जाये तो ज्योतिबा फुले से लेकर डा0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा चलाये गये दलित आन्दोलनों ने दलितों के उत्थान एवं निवारण के सकारात्मक परिणाम प्रस्तुत किये हैं जिसके परिणामस्वरूप समकालीन समाज में दलितों की शिक्षा, निर्योग्यताओं, गरीबी तथा शोषण में सुधार दिखाई दे रहे हैं। यही इन आन्दोलनों का केन्द्रीय बिन्दु था कि समाज में दलितों की स्थिति अन्य वर्गों के समान दिखाई दे और वे भी भयमुक्त, शोषण मुक्त तथा अपनी निम्न स्थिति से उभरकर समाज के सामने एक समान नागरिक की भाँति खड़े हो सकें।

सन्दर्भ –

1. हसनैन, नदीम – समकालीन भारतीय समाज–भारत बुक सेन्टर लखनऊ–2004
2. महाजन, धर्मवीर एवं महाजन, कमलेश – भारतीय समाज के परिपेक्ष्य–विवेक प्रकाशन, दिल्ली–2015
3. महाजन, धर्मवीर एवं महाजन, कमलेश – समाजशास्त्र – विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2016
4. विक्टर प्रेम सागर, इंटरप्रेटेटिव डायरी ऑफ अ बिशप, विवेक प्रकाशन विवेक प्रकाशन, दिल्ली 2016
5. हट्टन, जे.एच. क्रास्ट इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड, युनिवर्सिटी प्रेस, बॉम्बे।
6. महार, जे माइकल, द अनटचेबल्स इन कंटम्परेरी इंडिया, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर।